

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

मिसल नं.: 360

दिनांक:- 29.05.2018

अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

:: निर्णय ::

प्रार्थीयान देवजी कडगी पिता नाथा पटेल निवासी मोकरवाडा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत सुन्दरपुर मे दिनांक 29.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 से.रे.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा मोकरवाडा पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित आराजी नं. 317 कुल रकबा 10 बिस्वा पर प्रार्थीगण मालिक काबिज होकर कृषि काशत करते आ रहे है और अप्रार्थीगण से आये दिन सोमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहते है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री नानबी दला धुली पिता वाला पटेल निवासी मोकरवाडा ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम मोकरवाडा की जमाबंदी सन्वद् 2072-75 खसरा नं. ~~317~~ 317 कुल रकबा 10 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण खातेदार काशतकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगडी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा मोकरवाडा में स्थित आराजी नं. 317 कुल रकबा 10 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थर गडी करने का हकदार है।

सिद्धांत मौजा मोकरवाडा में स्थित आराजी नं. 317 कुल रकबा 10 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू.अ. निरीक्षक सुरपुर के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को विस्तृत किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रु. 500/- प्रार्थी न्याय राजकोष में जमा करावे तथा पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[CA-2018/00409]

(दीपक मेहता)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर